

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़
उपस्थित:- ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010050102025



Sessions Case/1815/2025
State of U.P. Vs. Aas Mohammad Urph Ashu
सत्र परीक्षण संख्या 1815 / 2025

मु0अ0सं0 164 / 2025

सरकार बनाम आस मौहम्मद उर्फ आशू आदि
अ0 धारा 74,76, 115 (2),351(3),352 बी0एन0एस0

7 / 8 पोक्सो एक्ट,

थाना-सिम्भावली, जिला हापुड़।

05.12.2025

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण आस मौहम्मद उर्फ आशू व सलमान जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 74,76,115 (2), 351(3),352 बी0एन0एस0, 7 / 8 पोक्सो एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 23.12.2025 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

दि0 05.12.2025

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट /
हापुड़।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थित:- ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010050102025



Sessions Case/1815/2025
State of U.P. Vs. Aas Mohammad Urph Ashu
सत्र परीक्षण संख्या 1815 / 2025

मु0अ0सं0 164 / 2025

सरकार बनाम आस मौहम्मद उर्फ आशू आदि
अ0 धारा 74,76, 115 (2),351(3),352 बी0एन0एस0

7 / 8 पोक्सो एक्ट,

थाना-सिम्भावली, जिला हापुड।

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतद्वारा आप अभियुक्तगण आस मौहम्मद उर्फ आशू व सलमान पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमतः :- यह कि दिनांक 04.06.2025 को समय रात्रि करीब 09.30 बजे ग्राम वैट ,बहद थाना सिम्भावली जिला हापुड में आपने वादी की अव्यस्क चचेरी बहन “एस” उम्र 17 वर्ष 11 माह 25 दिन की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 74 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयतः :- यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क चचेरी बहन “एस” को विवस्त्र करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 76 बी0एन0एस0 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयतः :- यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर विरोध करने पर आपने पीडिता व उसके भाई इरकान के साथ मारपीट कर उपहति कारित की । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 115(2) बी0एन0एस0 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थतः:- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी, पीडिता व उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 351(3) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचमतः ::- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी, पीडिता व उसके भाई को प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौच की । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की धारा 352 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

षष्ठमतः :- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क चचेरी बहन "एस" उम्र 17 वर्ष 11 माह 25 दिन की लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ अश्लील छेड़छाड़, कमेंट/ लैंगिक हमला कर ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दि0 05.12.2025

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया ।
अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की माँग की।

दि0 05.12.2025

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

